पत्रांक– 4तक0/पूँजीगत अनुदान/स्टाम्प ड्यूटी/निबंधन शुल्क प्रतिपूर्त्ति/15/2016–....................

बिहार सरकार

उद्योग विभाग (तकनीकी विकास)

स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ....

विषयः– **औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2011 के अन्तर्गत सर्वश्री बिहार डिस्टीलर्स एण्ड बोटलर्स प्रा0 लि0, यूनिट–I (डिस्टलरी डिवीजन), ग्राम–देवड़ी, प्रखण्ड–गड़हनी, जिला–भोजपुर को ₹ 20,90,005.00 (बीस लाख नब्बे हजार पाँच रुपये) मात्र अनुदान राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अन्तर्गत वृहत् प्रक्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों को स्टाम्प डयूटी/निबंधन शुल्क में भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्त्ति के रूप में देय अनुदान हेतु सर्वश्री बिहार डिस्टीलर्स एण्ड बोटलर्स प्रा0 लि0, यूनिट–I (डिस्टलरी डिवीजन), ग्राम–देवड़ी, प्रखण्ड–गड़हनी, जिला–भोजपुर से प्राप्त आवेदन पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की दिनांक 07.09.2016 को हुई बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 1953 दिनांक 27.09.2016 के आलोक में सर्वश्री बिहार डिस्टीलर्स एण्ड बोटलर्स प्रा0 लि0, यूनिट–I (डिस्टलरी डिवीजन), ग्राम–देवड़ी, प्रखण्ड–गड़हनी, जिला–भोजपुर को स्टाम्प डयूटी/निबंधन शुल्क में भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्त्ति के रूप में **₹** 20,90,005.00 (बीस लाख नब्बे हजार पाँच रुपये) मात्र अनुदान के रूप में स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :–

(i) इकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर इकाई बिना किसी औचित्य के बंद होती है तो भुगतान की गई राशि सूद समेत इकाई से वसूल की जायेगी।

(ii) इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों/प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों के भविष्य में गलत पाये जाने एवं अनुदान की गणना में त्रुटि पाये जाने पर तद्नुसार अनुदान की राशि वसूल कर ली जायेगी।

(iii) इकाई को आवंटित भू–खण्ड का उपयोग मात्र अपनी इकाई के लिए की जायेगी।

(iv) राशि की उपलब्धता के पश्चात अनुदान के भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

2. उक्त राशि के व्यय का वहन उद्योग विभागीय राज्यादेश संख्या 2493, दिनांक 11.07.2016 एवं आवंटनादेश संख्या 40/आ0, दिनांक 19.07.2016 के आलोक में मांग संख्या–23 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता, उप शीर्ष–0160–प्री–प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड–P2852801020160, के विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद में आवंटित राशि से की जायेगी। जिसका राज्य योजना स्कीम कोड–IND–5432 है।

Ar. K.

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक (तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

5. इस राशि की निकासी "पूर्व प्राप्ति रसीद" पर कोषागार फार्म संख्या–25 पर की जायेगी।

6. इस राशि का भुगतान सर्वश्री बिहार डिस्टीलर्स एण्ड बोटलर्स प्रा0 लि0, यूनिट–I (डिस्टलरी डिवीजन), ग्राम–देवड़ी, प्रखण्ड–गड़हनी, जिला–भोजपुर को बैंक ड्राफ्ट/RTGS के माध्यम से की जायेगी।

ह0/–
निदेशक,
तकनीकी विकास, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– /पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया ड्राफ्ट पर नाम के साथ–साथ खाते का विवरण भी अंकित किया जाय।

ह0/–
निदेशक,
तकनीकी विकास, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– /पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
तकनीकी विकास, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– /पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
तकनीकी विकास, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 1959 /पटना, दिनांकः– 27.09.16

प्रतिलिपिः– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, आरा, भोजपुर/सहायक निदेशक (तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/लेखा शाखा, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में/योजना शाखा, प्रशाखा–01 (सरकार)/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सर्वश्री सर्वश्री बिहार डिस्टीलर्स एण्ड बोटलर्स प्रा0 लि0, यूनिट–I (डिस्टलरी डिवीजन), ग्राम–देवड़ी, प्रखण्ड–गड़हनी, जिला–भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.09.2016
निदेशक,
तकनीकी विकास, बिहार, पटना।

Ar. K.